तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **ऋषि मिश्रा बनाम राजस्थान राज्य सरकार** **134/12 (आरसीएमएस नं. 2012/00027)**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28.08.18	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित उनकी बहस सुनी गई, पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन पर जाहिर होता है कि अपीलान्ट द्वारा हस्तगत अपील अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त लाईसेसिंग एवं लीगल सैल जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.11.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है जबकि अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त लाईसेसिंग एवं लीगल सैल जयपुर के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत अपील की सुनवाई के अधिकार न्यायालय हाजा को प्रदत्त नही होने के कारण अपीलान्ट की अपील पर अग्रिम कार्यवाही किया जाना संभव नही है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधिवक्ता अपीलान्ट को हस्तगत अपील सक्षम अधिकारी/न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु लौटाई जावे तथा न्यायालय हाजा की पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया। (टी0रविकान्त) संभागीय आयुक्त, जयपुर।	